

कनिघम के शब्दों में, "पाठ्यक्रम कलाकार (शिक्षक) के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ (शिक्षार्थी) को अपने आदर्श (उद्देश्य) के अनुसार अपने (चित्रालय (स्कूल) में शिक्षित करता है।"

"It (curriculum is a tool in the hands of the artist (teacher) to mould his material (pupil) according to his ideal (objective) in his studies (School)" — Cnningham

सभी विषयों के सफल शिक्षण में पाठ्यक्रम निर्धारण का बहुत बड़ा हाथ होता है। मुनरो का विचार, "पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है।" इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का उचित निर्धारण आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत व्यक्त किये हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्यों छात्रों का चतुर्मुखी विकास करना, उनकी रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना, सत्यता, ईमानदारी सद्भावना आदि सामाजिक गुणों को सिखाना और उनकी अन्तर्निहित शक्तियों का विकास करना एवं उन्हें अच्छा नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करना होता है। इस कारण शिक्षण में पाठ्यक्रम का विशेष महत्व है। छात्र विषय में चाहे जितनी अभिरुचि क्यों न रखना हो, जितना अधिक योग्य क्यों न हो, यदि पाठ्यक्रम ही अच्छा नहीं है तो छात्र को विषय समझना एक अत्यन्त कठिन कार्य है। अतएव विद्वानों ने विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए अनेक सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। इन सिद्धान्तों में प्रमुख हैं—(1) जीवन से सम्बन्धित होने का सिद्धान्त, (2) उपयोगिता का सिद्धान्त, (3) रचनात्मक कार्य का सिद्धान्त, (4) अनुभवों की पूर्णता का सिद्धान्त, (5) विविधता और लचीलेपन का सिद्धान्त, (6) सामुदायिक जीवन से सम्बन्ध का सिद्धान्त, (7) अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धान्त और (8) एकीकरण और समन्वय का सिद्धान्त।

नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य सिद्धान्त

(Basic Principles of the Construction of Curriculum of Civics)

नागरिकशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके पाठ्यक्रम का निर्माण करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है। नागरिकशास्त्र के अध्ययन के द्वारा हमारा प्रतिदिन का जीवन विद्यालय अध्ययन के अन्तर्गत लाया जाता है। यह एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा बालक का प्रत्यक्ष रूप से समाजीकरण करने का प्रयास किया जाता है। नागरिकशास्त्र बालक को वास्तविक जीवन का विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं अपने अनुभवों को निर्मित करने के हेतु तत्पर करता है। वह बालक के सामाजिक जीवन एवं वातावरण की स्वच्छता के लिए प्रयास करता है, और इस कारण नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम का निर्धारण करना एक अत्यन्त कठिन कार्य है। नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय निम्नलिखित सिद्धान्त को ध्यान में रखना चाहिए।

(1) प्रेरणा का सिद्धान्त (Principle of Motivation) —नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम प्रेरणादायक होना चाहिए। यदि नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम छात्रों को तो सीखने के लिए प्रेरित नहीं करता तो वह पाठ्यक्रम बेकार ही सिद्ध होता है और इसके अध्ययन से छात्र अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता। पाठ्यक्रम उस समय तक प्रेरणा नहीं प्रदान कर सकता जब तक वह छात्रों की योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार न हो। वही पाठ्यक्रम छात्रों की प्रेरणा प्रदान करता है जो उनकी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम मनोविज्ञान पर आधारित भी होना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है तो छात्र उसमें कोई रुचि नहीं लेते और तब प्रेरणा का प्रश्न ही नहीं उठता। मनोविज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम छात्र को क्रिया द्वारा शिक्षण प्राप्त करने के हेतु प्रेरित करता है अन्यथा छात्र कक्षा में केवल एक श्रोता मात्र रह जाता है। इससे कार्य से उनका जी ऊब जाता है और छात्र एवं विद्यालय के मध्य एक गहरी दरार पड़ जाती है जो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती। अतएव यह आवश्यक है कि नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम मनोविज्ञान पर आधारित हो। वही पाठ्यक्रम छात्रों को प्रेरणा प्रदान कर सकता है जो उनकी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार हो तथा उसमें मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया हो।

(2) व्यापकता का सिद्धान्त (Principle of Broadness) —नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम अत्यन्त व्यापक होना चाहिए। इसमें सभी बातों का समावेश किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम पुस्तकों, कक्षा एवं पुस्तकालयों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। केवल कक्षा शिक्षण तक जो पाठ्यक्रम सीमित रहता है उससे बालकों को विषय की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती। पाठ्यक्रम में नागरिकशास्त्र का ज्ञान संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण में अर्जित कराने की योग्यता होनी चाहिए।

नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि किसी धर्म या किसी मत पर उससे आँच आवे। उसे छात्रों को योग्य नागरिक बनाने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों का समावेश किया जाना चाहिए जो छात्रों को योग्य नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम में नागरिकों के कर्तव्यों, अधिकारों, राज्य के प्रति उनका उत्तरदायित्व और देश-प्रेम एवं विश्व-बन्धुत्व की भावना उत्पन्न करने वाले सभी विषय रखे जाने चाहिए, तभी नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम से छात्रों को वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(3) जीवन से सम्बन्धित होने का सिद्धान्त (Principle of Linking With Life) —नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से जीवन से सम्बन्धित होना चाहिए। छात्र उसी विषय में अधिक रुचि लेते हैं जो जीवन से सम्बन्धित कर दिया जाता है। इस कारण नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम को जीवन से सम्बन्धित अवश्य होना चाहिए।

(4) उपयोगिता का सिद्धान्त (Principle of Utility) —ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं होता है वह बेकार हो जाता है। अतएव नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। छात्रों को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जिसे व्यावहारिक जीवन में

लाभकारी रूप में प्रयोग में लाया जा सके। जो पाठ्यक्रम उपयोगी होगा, छात्रों को उसमें स्वाभाविक रूप से रुचि उत्पन्न हो जाएगी तभी वे पाठ्यक्रम को आसानी से आत्मसात कर सकेंगे।

(5) क्रिया का सिद्धान्त (Principle of activity)—नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम में क्रिया के सिद्धान्त को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बालक जो कार्य करके सीखते हैं उससे उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतएव पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बालक स्वयं कार्य करके ज्ञान की प्राप्ति करें। यदि पाठ्यक्रम बालकों को सक्रिय बनाने में सक्षम नहीं होता तो विद्यार्थियों की उसमें अभिरुचि नहीं रह जाती और इस स्थिति में नागरिकशास्त्र का शिक्षण अत्यन्त कठिन हो जाता है। यही कारण है कि शिक्षाशास्त्रियों का कहना है कि पाठ्यक्रम में (Four 'H') 'चार एच' की अवश्य स्थान मिलना चाहिए 'चार एच' से उनका तात्पर्य है—Hand (हाथ), Heart (हृदय), Head (मस्तिष्क), एवं Health (स्वास्थ्य) इन चारों की शिक्षा बालकों को अवश्य दी जानी चाहिए क्योंकि बालक प्रकृति के अनुसार क्रियाशील होता है और उसे क्रियाशील बनाये रखना भी चाहिए।

(6) लोकतांत्रिक सम्बन्धों का सिद्धान्त (Principle of democratic concept)—पाठ्यक्रम लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर आधारित भी होना चाहिए क्योंकि आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र की सफलता देश के नागरिकों पर ही निर्भर करती है। आज का छात्र कल का नागरिक होगा और इस कारण पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए कि छात्र अच्छे नागरिक बन सके। लोकतंत्र में सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, ईमानदारी, समानता आदि बातें यदि दिखलाई पड़ती हैं तो कोई राष्ट्र तेजी से उन्नति करता है। अतएव पाठ्यक्रम में इन भावनाओं को उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए।

(7) संरक्षणता एवं हस्तान्तरण का सिद्धान्त (Principle of preservation and transmission)—प्रत्येक समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है। उसकी अपनी परम्पराएँ, अपने रीति-रिवाज और अपनी मान्यताएँ होती हैं। नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह परम्पराओं, रीति-रिवाजों को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो और इस प्रकार सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने वाला हो। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह प्रचलित मान्यताओं को आगे आने वाली पीढ़ी को बताने वाला हो जिससे कि हमारी संस्कृति की रक्षा हो सके।

(8) समन्वय का सिद्धान्त (Principle of co-relation)—अपने जीवन में हम जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं वह किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से सम्बन्धित होता है। यह सब शारीरिक और मानसिक रचनाओं के फलस्वरूप होता है। पाठ्यक्रम निर्माण शारीरिक और मानसिक रचना के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए कि वह विभिन्न ज्ञानों सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो। इससे ज्ञान सरल, सुगम और स्पष्ट हो जाएगा। नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ज्ञान की अन्य शाखाओं से समन्वय स्थापित किया जा सके।